टिप्पणी

5

व्यावसायिक संगठनों के प्रकार

आपने पिछले पाठ में व्यवसाय, इसके महत्व और इसकी क्रियायों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ा। आप यह भी जान गये होंगे कि अलग–अलग प्रबंधन और स्वामित्व वाले प्रत्येक संगठन में यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर पूरे किए जाते हैं। व्यवसाय का स्वामी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है अथवा कई व्यक्ति संयुक्त रूप से भी किसी व्यवसाय के स्वामी हो सकते हैं। अतः स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार हैं: एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय, साझेदारी फर्म अथवा संयुक्त पूँजी कम्पनी। इस पाठ में आप संयुक्त पूंजी कम्पनी के अतिरिक्त व्यवसाय के अन्य विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं, गुणों, सीमाओं, उपयुक्तता और उनकी स्थापना के विभिन्न चरणों के विषय में जानेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- व्यावसायिक इकाई की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और सहकारी समिति, आदि विभिन्न व्यवसायों का अर्थ और उनकी विशेषताएँ बता सकेंगे;
- इन व्यावसायिक संगठनों के गुण और सीमाओं को पहचान सकेंगे और
- इन व्यावसायिक इकाइयों की उपयुक्तता का वर्णन कर सकेंगे।

5.1 व्यावसायिक संगठन

आप व्यवसाय के अर्थ और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं जैसे उद्योग, व्यापार, यातायात, बैंकिंग और बीमा आदि के बारे में पहले ही जान चुके हैं। इन क्रियाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के

टिप्पणी

लिए व्यवसायी को विभिन्न संसाधनों, जैसे–श्रमिक, धन, सामान, मशीनें और तकनीक आदि को एकत्रित करना पड़ता है। और केवल एकत्रित करना ही काफी नहीं है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से उपयोग में भी लाना पड़ता है।

आइये, एक चावल मिल का उदाहरण लें। सबसे पहले मालिक को जमीन खरीद कर उस पर एक भवन बनाना पड़ेगा, मशीनें लगाकर काम करने के लिए श्रमिक लगाने पड़ेंगे, फिर धान खरीदना पड़ेगा और तब धान से चावल निकालकर ग्राहकों को बेचा जाएगा। इस प्रकार धान से चावल निकालने के लिए आपको भूमि, भवन, मशीनें और श्रमिक आदि संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इन संसाधनों को एक व्यवस्थित तरीके से लगाकर कार्य रूप दिया जाएगा, तभी चावल का उत्पादन संभव हो पाएगा। तब इसे ग्राहकों को बेचकर लाभ कमाया जा सकेगा।

इस प्रकार किसी भी व्यवसाय को चलाने और उससे लाभ कमाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संसाधनों को जुटाना और उन्हें व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। इन सभी क्रियाओं में समन्वय व इन पर नियंत्रण भी जरूरी है। इस सारी व्यवस्था को व्यावसायिक संगठन के नाम से जाना जाता है।

5.2 व्यावसायिक संगठनों के प्रकार

किसी व्यवसाय के विषय में क्या आपने कभी सोचा है कि निर्धारित लाभ कमाने के लिए किसने इसमें पूँजी लगाई होगी, साधनों को जुटाकर उन्हें व्यवस्थित व नियंत्रित किया होगा? कौन उन्हें व्यवस्थित क्रम से लगाता है, समन्वय और नियंत्रण करता है? आप अपने आस–पास यदि पंसारी की दुकान देखें तो पाएंगे कि उसका मालिक एक ही व्यक्ति होता है, वही उसे चलाता है और सारे जरूरी काम भी खुद ही करता है। परन्तु बड़े व्यवसाय में एक ही आदमी सारे काम कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। अतः इस प्रकार के मामलों में दो या अधिक व्यक्ति मिलकर पूँजी जुटाते हैं, और व्यवसाय का प्रबंध करते हैं और समझौते (Agreement) के अनुसार लाभ बाँट लेते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक संगठन का स्वामी और प्रबंधक एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ व्यक्ति मिलकर साझेदारी कम्पनी या संयुक्त पूँजी कम्पनी भी बना सकते हैं। इस प्रकार स्वामित्व और प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था को व्यावसायिक संगठन का प्रकार कहते हैं। अतः भारत में एक व्यावसायिक संगठन सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं:

1. एकल स्वामित्व
2. साझेदारी
3. संयुक्त हिंदू परिवार
4. सहकारी समिति
5. संयुक्त पूँजी कम्पनी

आइए, अब इन व्यावसायिक संगठनों के प्रकारों के बारे में जानें। संयुक्त पूँजी कम्पनी के बारे में अगले पाठ में बताया जायेगा।

5.3 एकल स्वामित्व व्यवसाय

गोपाल स्थानीय बाजार में एक किराने की दुकान चलाता है। वह थोक बाजार से सामान खरीदकर ग्राहकों को उनकी आवश्यकतानुसार बेचता है। ऐसा करके वह कुछ लाभ कमा लेता है। उसने दो वर्ष पहले एक लाख रुपये पूँजी लगाकर अपना व्यवसाय शुरू किया था। इस पूँजी को उसने अपने मित्र से उधार लिया था। आज वह अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला कर अच्छा लाभ कमा रहा है। वह साथ–साथ उधार भी चुका रहा है। उसने दुकान में काम करने के लिए दो नौकर भी रखे हुए हैं। गोपाल के अनुसार वह एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का स्वामी है।

क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइये, 'एकल स्वामित्व' की प्रकृति के विषय में जानें।

एकल (Sole) शब्द से अभिप्राय एक या अकेला और स्वामित्व (Ownership) का अभिप्राय स्वामी होने से है। इसका अर्थ है कि व्यवसाय का ऐसा प्रकार जिसका स्वामी एक व्यक्ति है, उसका प्रबंध वह अकेले करता है तथा उससे लाभ प्राप्त करता है और हानि भी स्वयं वहन करता है, उसे एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय कहलाता है।

गोपाल ठीक ऐसा ही करता है। अतः आप कह सकते हैं कि गोपाल एकल स्वामित्व व्यवसाय चलाता है और वह एकल स्वामी या एकल व्यापारी के नाम से जाना जाता है।

अपने आस–पास आपने ऐसे व्यवसाय जरूर देखें होंगे। क्या अब आप इस प्रकार के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की सूची बना सकते हैं?

1. सुप्रीम ड्राइक्लीनर्स
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

एकल स्वामित्व व्यवसाय की परिभाषा

जे. एल. हेनसन के अनुसार– ''ऐसी व्यावसायिक इकाई जिसमें एक अकेला व्यक्ति पूँजी जुटाने, उद्यम के लिए जोखिम उठाने और व्यवसाय के प्रबंध की जिम्मेदारी उठाता है।''

इस प्रकार जब एक अकेला व्यक्ति अधिकार एवं उत्तरदायित्व के साथ किसी व्यवसाय का स्वामित्व, प्रबन्धन, नियंत्रण व जोखिम वहन करता है तो व्यवसाय के ऐसे प्रकार को एकल स्वामित्व व्यवसाय कहते हैं।

अब आप एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएँ पहचानने की स्थिति में हैं।

टिप्पणी

5.3.1 एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएँ

(क) **अकेला स्वामित्व :** एकल स्वामित्व व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति ही होता/होती है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वयं ही सभी संसाधन जुटाता/जुटाती है।

(ख) **स्वामित्व और प्रबंधन अलग-अलग नहीं :** स्वामी अपने कौशल एवं बुद्धिमता से व्यवसाय का प्रबंध करता है। व्यवसाय के कम्पनी स्वरूप की तरह एकल स्वामित्व में प्रबन्धन व स्वामित्व अलग–अलग नहीं होता है।

(ग) **कम कानूनी औपचारिकताएँ :** एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना में एवं उसे चलाने में कम कानूनी औपचारिकता का पालन करना पड़ता है। इसीलिए इसकी स्थापना बहुत सरल है।

(घ) **कोई अलग अस्तित्व नहीं :** इस व्यावसायिक संगठन का अस्तित्व अपने स्वामी से अलग नहीं होता। व्यवसाय और व्यवसायी एक ही होते हैं। व्यवसायी व्यवसाय की हर बात के लिए जिम्मेदार होता है।

(ङ) **लाभ-हानि का बटवारा नहीं :** इस व्यवसाय का स्वामी अकेला ही लाभ का आनंद उठाता है। हानि होने की स्थिति में भी उसे अकेले ही सारी हानि झेलनी पड़ती है। इसमें लाभ–हानि के बंटवारे के लिए कोई दूसरा नहीं होता। वह अकेला ही जोख़िम उठाता है व लाभ का आंनद लेता है।

(च) **असीमित देयता :** एकल स्वामित्व की देयता असीमित होती है। हानि की स्थिति में यदि उसके व्यवसाय की संपत्तियां देयताओं के भुगतान के लिए काफी नहीं हैं तो व्यावसायिक देयताओं का भुगतान उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों में से भी करना पड़ सकता है।

(छ) **एक व्यक्ति का नियंत्रण :** एकल स्वामित्व व्यवसाय का नियंत्रण केवल उसके स्वामी के हाथ में होता है। वह अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चलाता/चलाती है।

गोपाल अकेले अपना व्यवसाय चलाकर प्रसन्न है क्योंकि उसे इसके कई लाभ हैं। लेकिन उसे कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या आप इस व्यवसाय के लाभों व सीमाओं के विषय में जानते हैं? आइए, जानें।

5.3.2 एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण

(क) **सरल स्थापना एवं समाप्ति :** एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना बहुत आसान है। सामान्यतया इसके लिए बहुत कम कानूनी औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के व्यवसाय को स्वामी जब चाहे, बंद कर सकता है।

(ख) **शीघ्र निर्णय व तेज़ कार्यवाही :** जैसा कि पहले कहा गया है, एकल स्वामित्व व्यवसाय में अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अतः मालिक व्यवसाय संबंधी फैसले शीघ्रता से ले कर उस पर तेजी से कार्यवाही भी कर सकता है।

टिप्पणी

(ग) **प्रेरणा :** एकल स्वामित्व व्यवसाय में सारा लाभ सीधे स्वामी को ही मिलता है जो उसे कठिन परिश्रम कर व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने के लिए प्रेरित करता हैं।

(घ) **संचालन में लचीलापन :** आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक क्रियाकलापों में तुरंत परिवर्तन संभव है, क्योंकि इसको विस्तार अथवा कम करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता पूरी करना आवश्यक नहीं है।

(ङ) **गोपनीयता :** व्यवसाय की गोपनीय सूचनाएँ केवल स्वामी को ही पता होती हैं। उसकी इच्छा के बिना कोई अन्य उनके बारे में नहीं जान सकता। वह व्यवसाय के खातों को प्रकाशित करने को भी बाध्य नहीं है।

(च) **व्यक्तिगत सम्पर्क :** क्योंकि स्वामी स्वयं व्यवसाय की देखभाल करता है, अतः उसके लिए ग्राहकों एवं अपने कर्मचारियों से सीधा अच्छा संपर्क बनाना सरल होता है। ग्राहकों की जरूरतों और स्वभाव को जानकर वह अपने व्यवसाय के तद्नुसार परिवर्तन करता रहता है। सामान्यतः कर्मचारी भी कम होते हैं और व्यवसाय सीधा मालिक के अधीन होने के कारण उनसे भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर व्यवसाय सुगमता से चलाया जाता है।

एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन के गुणों को जानने के बाद, आइये, उसकी सीमाओं की बात करें।

5.3.3 एकल स्वामित्व व्यवसाय की सीमाएँ

(क) **सीमित संसाधन :** एकल स्वामित्व व्यवसाय के संसाधन सदैव सीमित होते हैं। अकेले स्वामी के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी व संसाधन एकत्रित करना सदैव संभव नहीं हो पाता। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बैंक से उधार/कर्ज लेने में भी उसकी अपनी परेशानियां होती हैं। अतः अकेले स्वामी की अपने व्यापार के लिए पूँजी जुटाने की क्षमता सीमित होती है।

(ख) **निरंतरता की कमी :** इस व्यवसाय की निरंतरता मालिक के जीवन व स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। उसकी बीमारी, मृत्यु या दिवालियापन जैसी किसी भी परिस्थिति में व्यवसाय समाप्त हो जाता है। अतः व्यवसाय की निरंतरता अनिश्चित होती है।

(ग) **असीमित देयता :** आपने पहले पढ़ा है कि इस प्रकार के व्यवसाय में स्वामी और व्यवसाय का अस्तित्व अलग नहीं होता है। कानून की नजर में एकल स्वामी और उसका व्यवसाय एक ही है। इसलिए व्यावसायिक देनदारियों के भुगतान के लिए स्वामी की निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) **बड़े स्तर के व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त :** चूंकि एकल स्वामित्व व्यवसाय में संसाधन और प्रबधंन क्षमता सीमित होती है, अतः यह बड़े स्तर के व्यावसायिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

टिप्पणी

(ङ) **सीमित प्रबंधन विशेषज्ञता :** एकल स्वामित्व व्यवसाय में सदैव प्रबन्ध कुशलता का अभाव महसूस किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति सभी क्षेत्रों जैसे माल का क्रय, विक्रय और वित्त आदि क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन व्यवसाय के सीमित संसाधनों और छोटे आकार के कारण इस प्रकार के संगठनों के लिए कुशल प्रबंधकों की सेवाएं लेना भी संभव नहीं हो पाता है।

अब आपको गोपाल के व्यवसाय के गुणों और उसकी सीमाओं के विषय में जानकारी हो गई होगी। एकल स्वामित्व व्यवसाय का ऐसा ही अन्य उदाहरण आप अपने क्षेत्र से ले सकते हैं। इसके क्रिया कलापों की जाँच कीजिए और यह जानने का प्रयास कीजिए कि ऊपर विचार किये गये बिंदु उस पर लागू होते हैं अथवा नहीं। पुस्तकों के ज्ञान का जीवन में प्रयोग एकल स्वामित्व व्यवसाय के तथ्यों को सही तरीके से समझने और याद रखने में निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा।

5.3.4 एकल स्वामित्व व्यवसाय की उपयुक्तता

आपने एकल स्वामित्व व्यावसायिक इकाई के अर्थ, विशेषताएँ और उसके गुणों के विषय में पढ़ा। विस्तृत अध्ययन के बाद अब आपके लिए उन क्षेत्रों की पहचान आसान हो जाएगी जिनमें एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना करना ही उपयुक्त होता है।

आपकी मदद के लिए बता दें कि एकल स्वामित्व व्यवसाय ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त होगा जहां सीमित स्थानीय बाजार के ग्राहक के लिए व्यक्तिगत संपर्क की उपयोगिता हो। साथ ही ऐसे क्षेत्र में भी जहां कम पूँजी की आवश्कता हो तथा जोखिम भी कम हो, एकल स्वामित्व उपयुक्त होता है।

ऐसे व्यवसाय जहां हस्तकौशल का प्रयोग कर वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे– हस्तशिल्प, ज़री का काम, आभूषण बनाने, कपड़े सिलने (दर्जीगिरी) व नाई आदि के व्यवसायों के लिए एकल स्वामित्व उपयुक्त माना जाता है।

अपने क्षेत्र के आस–पास घूमें और एकल स्वामित्व वाले व्यवसायों की सूची बनाइये। उन्हें ऊपर बताए गये बिंदुओं के अनुसार वर्गीकृत कीजिए।

पाठगत प्रश्न 5.1

1. एकल स्वामित्व व्यवसाय को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए:

2. नीचे एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण एवं सीमाएँ दी गयी हैं। सामने दिये गये रिक्त स्थान में गुण के सामने 'ग' तथा सीमा के सामने 'स' लिखिये।

   (क) एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना सरल है।

टिप्पणी

(ख) एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्वामी व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक देनदारियों के लिए जिम्मेदार होता है।

(ग) एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्वामी की अपने व्यवसाय हेतु धन जुटाने की क्षमता सीमित होती है।

(घ) एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यवसाय की गोपनीयता को बनाये रखा जा सकता है।

(ङ) एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्वामी ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बना सकता है।

3. एकल स्वामित्व व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित के जोड़े बनाइये।

स्तंभ (क)	स्तंभ (ख)
(क) देयता	(i) आसान
(ख) स्थापना	(ii) न्यूनतम
(ग) संसाधन	(iii) तत्काल
(घ) निर्णय लेना	(iv) असीमित
(ङ) कानूनी औपचारिकता	(v) सीमित

5.4 साझेदारी व्यवसाय

गोपाल जहाँ अपना व्यवसाय करता है वहीं एक कपड़ा फैक्टरी शुरू होने जा रही है। एक व्यवसायी के रूप में वह उत्साह से भरा है। वह सोच रहा है कि बस एक बार फैक्टरी लग जाए, उसे और ग्राहक मिलेंगे और उसका लाभ और बढ़ेगा। लेकिन इस सबके लिए उसे अपना व्यवसाय फैलाना पड़ेगा और उसके लिए उसे अधिक धन चाहिए।

इस अतिरिक्त धन की व्यवस्था कैसे हो, यह एक बड़ी समस्या है। एक विकल्प है कि वह बैंक से धन उधार ले सकता है। लेकिन हानि के डर से वह उधार लेने से घबरा रहा है। एक दूसरा विकल्प किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यापार में सम्मिलित करना भी हो सकता है। ऐसा करने से अधिक संसाधन तो जुटेंगे ही, काम में सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति भी उपलब्ध होगा। अतः व्यवसाय सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा। हानि का जोखिम भी बंट जायेगा। लेकिन ऐसा करने पर उसके व्यवसाय का प्रकार बदल कर साझेदारी हो जाएगा। इस नये प्रकार के व्यवसाय को शुरू करने से पहले गोपाल इसके लाभ व हानियां, इसकी प्रकृति आदि के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

'साझेदारी' उन दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है, जिन्होंने लाभ के बंटवारे हेतु व्यवसाय चलाने के लिए अपने वित्तीय व प्रबन्धकीय साधनों को एकत्रित किया है। जो लोग साझेदारी करते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं तथा सम्मिलित रूप में ऐसी साझेदारी को एक फर्म अथवा साझेदारी फर्म का नाम दिया जाता है।

टिप्पणी

माना कि गोपाल ने रहीम से हाथ मिलाया और किराने की एक बड़ी दुकान खोल ली। अब गोपाल और रहीम आपस में साझेदार हो गए हैं। वे दोनों अपना धन एकत्र करेंगे और अपने कौशल के आधार पर व्यवसाय को आगे बढ़ायेंगे। वे सहमति की शर्तों के अनुपात से अपना लाभ और हानि बांटेंगे। वास्तव में उन्हें अपने काम के नियम एवं शर्तों और सभी पहलुओं पर एक साथ बैठकर निर्णय करना होगा। उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए। यह समझौता मौखिक, लिखित अथवा गर्भित भी हो सकता है। जब यह समझौता लिखित होता है तो यह साझेदारी विलेख (Partnership Deed) कहलाता है। परंतु समझौता न होने पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की विभिन्न धाराएँ लागू होंगी।

भारत में साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होता है जिसके अनुसार साझेदारी ''उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है।''

5.4.1 साझेदारी की विशेषताएँ

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

(क) **दो या अधिक व्यक्ति :** साझेदारी फर्म के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम 10 तथा अन्य व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 व्यक्ति मिलकर साझेदारी फर्म बना सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या अधिकतम सीमा से अधिक हो जाएगी तो यह गैर कानूनी हो जाएगी और साझेदारी नहीं कहलाएगी।

(ख) **अनुबन्धात्मक संबंध :** साझेदारी की स्थापना उन व्यक्तियों के आपसी समझौते से होती है जो इकट्ठे काम करना चाहते हैं। साझेदारी उनमें एक समझौता के द्वारा होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अनुबन्ध करने योग्य होना चाहिए। अवयस्क, पागल और दिवालिये व्यक्ति साझेदारी के योग्य नहीं माने जाते, परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में अवयस्क को लाभ में हिस्सेदारी के लिए साझेदार माना जा सकता है अर्थात वह हानि का जोखिम उठाये बिना लाभ में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है।

(ग) **व्यवसाय के लाभों का बंटवारा :** साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि के बँटवारे के लिए साझेदारों में एक समझौता होना जरूरी है। यदि दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी सम्पत्ति से प्राप्त आमदनी को बांटते हैं तो इसे भी साझेदारी नहीं कहते।

(घ) **वैध व्यवसाय का अस्तित्व :** जिस व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए व्यक्ति सहमत हुए हैं, वह वैध होना चाहिए। तस्करी, कालाबजारी आदि किसी असंवैधानिक कार्य के लाभों को बांटने का समझौता, कानून की नजर में साझेदारी नहीं कहलाएगा।

टिप्पणी

(ङ) **एजेन्सी संबंध :** साझेदारों के बीच में एजेन्सी संबंध होने चाहिए। प्रत्येक साझेदार प्रधान हैं तथा साथ ही फर्म का एजेंट भी है। जब एक साझेदार ग्राहकों से व्यापारिक लेन–देन करता है तो वह एक एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। वहीं दूसरे साझेदार प्रधान के रूप में होते हैं।

(च) **असीमित देयता :** फर्म के सभी साझेदारों की देयता असीमित होती है। वे संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से फर्म की देयताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि फर्म की परिसम्पत्ति उसकी देयताओं का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है तो साझेदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति का उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है।

(छ) **स्वैच्छिक पंजीकरण :** साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है लेकिन एक गैर पंजीकृत फर्म को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः फर्म का पंजीकरण परोक्ष रूप से आवश्यक हो जाता है। गैर पंजीकृत फर्म को निम्न सीमाओं का सामना करना पड़ता है:

(i) फर्म बाहरी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं कर सकती जबकि वह फर्म पर मुकदमा कर सकता है।

(ii) साझेदारों के बीच विवाद के मामले में विवाद को न्यायालय द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है।

(iii) फर्म किसी अन्य पक्ष से देय या प्राप्त राशि के लिए दावा नहीं कर सकती।

5.4.2 साझेदारी व्यवसाय के लाभ

(क) **स्थापना में सुगमता :** एक साझेदारी फर्म को अनेक कानूनी औपचारिकताओं के बिना बनाया जा सकता है। इसे पंजीकृत करवाने की बाध्यता भी नहीं है। एक समझौता जो लिखित, मौखिक या गर्भित होता है, इसकी स्थापना के लिए पर्याप्त है।

(ख) **अधिक संसाधनों की उपलब्धि :** चूँकि इसे चलाने के लिए दो या अधिक व्यक्ति होते हैं अतः एकल स्वामित्व व्यवसाय की तुलना में साझेदारी व्यवसाय में अधिक संसाधन एकत्र होने की संभावना होती है।

(ग) **बेहतर निर्णय :** साझेदारी फर्म के प्रबंधन के लिए प्रत्येक साझेदार को निर्णय लेने का पूरा–पूरा अधिकार होता है। बड़े निर्णय सभी साझेदारों की सलाह से लिए जाते हैं। इसलिए सामूहिक ज्ञान के प्रभाव के कारण निर्णयों में लापरवाही की संभावना कम होती है।

(घ) **लचीलापन :** साझेदारी व्यवसाय में लचीलापन भी होता है। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की आपसी सहमति से इसकी प्रकृति, आकार, कार्यक्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है।

टिप्पणी

(ङ) **जोखिम का बंटवारा :** समझौते के अनुसार सभी साझेदार, व्यवसाय में आये जोखिम को परस्पर वहन करते हैं।

(च) **गहन रूचि :** चूंकि साझेदार व्यवसाय के हानि या लाभ को आपस में बांटते हैं, अतः वे व्यवसाय के क्रियाकलापों में बड़ी रुचि लेते हैं।

(छ) **विशिष्टता का लाभ :** सभी साझेदार अपने विशिष्ट ज्ञान के अनुसार व्यवसाय के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेते हैं। उदाहरणार्थ, न्यायिक मामले में सलाह देने वाली साझेदारी फर्म का एक साझेदार दीवानी मुकदमों का, दूसरा आपराधिक मामलों का, तीसारा श्रम कानूनों का विशेषज्ञ हो सकता है और वे अपने–अपने क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सलाह दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दो अलग–अलग रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर मिलकर साझेदारी में एक क्लिनिक चला सकते हैं।

(ज) **हितों की रक्षा :** साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार के अधिकार एवं हित पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यदि एक साझेदार किसी भी फैसले से असंतुष्ट है तो वह न केवल निर्णय बदलने को कह सकता है बल्कि साझेदारी का विलयन भी करा सकता है, या फर्म से स्वयं को अलग कर सकता है।

(झ) **गोपनीयता :** साझेदारी फर्म की व्यावसायिक गोपनीयता केवल साझेदारों के पास ही होती है। बाहरी व्यक्ति के सामने राज खोलने की जरूरत नहीं होती। फर्म को वार्षिक लेखा–जोखा प्रकाशित करने की भी बाध्यता नहीं होती।

साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति और उसके गुण जानकर अब गोपाल ने तय कर लिया है कि वह साझेदारी व्यवसाय आरंभ कर अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा। वह एक दिन रहीम से मिला। (रहीम भी उसी कालोनी में किराना की दुकान चलाता है) गोपाल ने उससे अपनी योजना, साझेदारी व्यवसाय के गुण और उसकी विशेषताएं बताईं उसने गोपाल की बात ध्यान से सुनी और साझेदारी की सीमाएं पूछीं। गोपाल उसकी सीमाओं के बारे में नहीं जानता था। आइये, अब हम साझेदारी व्यवसाय की सीमाओं के बारे में जाने।

5.4.3 साझेदारी व्यवसाय की सीमाएँ

साझेदारी व्यवसाय की कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं:–

(क) **असीमित देयता :** साझेदारी व्यवसाय की सबसे बड़ी कमी साझेदारों की असीमित देयता है। अर्थात सभी साझेदार, फर्म के कर्ज और देयताओं के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। दूसरे शब्दों में फर्म की देयताओं का भुगतान उनकी निजी सम्पत्ति से भी किया जा सकता है।

टिप्पणी

(ख) अनिश्चित कार्यकाल : प्रत्येक साझेदारी का कार्यकाल अनिश्चित होता है। किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन, पागल अथवा सेवा निवृत्ति से फर्म बंद हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी साझेदार किसी भी समय फर्म से अपनी साझेदारी को समाप्त करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।

(ग) सीमित पूँजी : चूंकि साझेदारों की संख्या 20 से ऊपर नहीं हो सकती इसलिए संयुक्त पूंजी कम्पनी की तुलना में साझेदारों की सम्मिलित रूप से पूँजी एकत्रित करने की क्षमता सीमित ही होती है।

(घ) अहस्तांतरणीय हिस्सा : साझेदारी फर्म के साझेदार अपने हिस्से को किसी दूसरे साझेदार या अन्य बाहरी व्यक्ति को स्वेच्छा से हस्तांतरित नहीं कर सकते। अतः उन साझेदारों के लिए यह असुविधाजनक होता है जो अपना हिस्सा किसी अन्य को अंशतः अथवा पूर्णतः हस्तांतरित करना चाहते हैं। यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो फर्म का विघटन ही अंतिम विकल्प है।

(ङ) आपसी मतभेद की संभावना : साझेदारी फर्म के प्रबंधन में प्रत्येक साझेदार का बराबर का अधिकार होता है। प्रत्येक साझेदार प्रबंधन के किसी भी मामलों में अपने विचार कभी भी रख सकता है। इसके कारण कभी–कभी साझेदारों में मतभेद और विवाद हो जाता है और यह मतभेद झगड़े का रूप ले लेता है जिसके कारण फर्म के विघटन की संभावना बढ़ जाती है।

5.4.4 साझेदारों तथा साझेदारी के प्रकार

साझेदारों के प्रकार

अब तक आप जान चुके हैं कि सामान्यतः साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म में पूँजी के योगदान के साथ सक्रियता से प्रबंधन व दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भाग लेता है तथा निश्चित अनुपात में लाभ एवं हानि का भागीदार बनता है। दूसरे शब्दों में सभी साझेदारों को सक्रिय साझेदार होना पड़ता है। लेकिन कुछ साझेदार विशेष परिस्थिति में सीमित भूमिका भी निभा सकते हैं। वे केवल पूँजी में योगदान देते हैं इसलिए उन्हें सक्रिय साझेदार नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार कुछ साझेदार केवल अपना नाम दे देते हैं परन्तु किसी अन्य प्रकार का कोई योगदान नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल नाम के साझेदार होते हैं। इस प्रकार साझेदारी के विस्तार, लाभ के बंटवारे और देयता आदि के आधार पर साझेदारों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) साझेदारी में भागीदारी के आधार पर : साझेदारी व्यवसाय के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में सहभागिता के आधार पर साझेदारों को सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदारों के वर्गों में बांटा जा सकता है। जो साझेदार फर्म के संचालन में सक्रियता से भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार या कर्मशील साझेदार कहलाते हैं तथा सक्रिय रूप से भाग न लेने वाले साझेदार निष्क्रिय साझेदार या सुप्त साझेदार कहलाते हैं। ऐसे साझेदार केवल पूँजी, लाभ और हानि में ही भागीदार होते हैं।

टिप्पणी

(ख) लाभ में हिस्सेदारी के आधार पर : लाभ के हिस्सेदारी के आधार पर साझेदारों को केवल ''नाम मात्र के साझेदार'' तथा केवल ''लाभ के लिए साझेदार'' में विभाजित किया जा सकता है। नाम मात्र के लिए साझेदार फर्म को अपना नाम साझेदार की भांति प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। वे न तो पूँजी निवेश करते हैं और न ही फर्म के दिन प्रतिदिन के संचालन में कोई योगदान करते हैं। वे फर्म के लाभ में भी हिस्सा लेने के भी हकदार नहीं होते जबकि उन्हें फर्म के सभी मामलों में तीसरा पक्ष माना जाता है। ऐसा साझेदार जो केवल फर्म के लाभों को ही बांटने के लिए फर्म में शामिल हो तथा उसकी हानियों में कोई जिम्मेदारी न हो, वह केवल 'लाभ के लिए साझेदार' कहलाता है। यह केवल अवयस्कों पर ही लागू होता है जिनका फर्म में प्रवेश केवल लाभ पाने के लिए होता है और देयता केवल पूँजी के योगदान तक ही सीमित होता है।

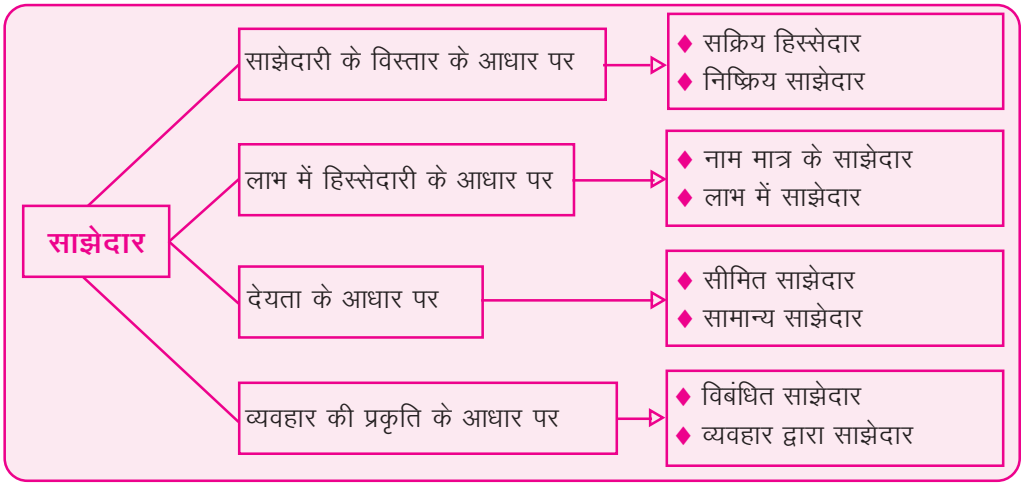

(ग) देयता के आधार पर : देयता के आधार पर साझेदारों को सामान्य साझेदार तथा सीमित साझेदार कहा जा सकता है। सीमित साझेदारों की देयता उनके पूँजी निवेश के आधार पर निर्धारित होती है। इस प्रकार के साझेदार यूरोप के कुछ देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाये जाते हैं। लेकिन भारत में साझेदारों का यह प्रकार स्वीकृत नहीं है। सीमित साझेदारी एक्ट भारतीय संसद में विचारधीन है। असीमित दायित्व वाले साझेदार मुख्य साझेदार कहलाते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो सीमित साझेदार नहीं हैं वही मुख्य साझेदार हैं।

(घ) व्यवहार अथवा आचरण के आधार पर : उपरोक्त साझेदारों के प्रकारों के अतिरिक्त साझेदारों के निम्न दो प्रकार होते हैं : (क) विबंधित साझेदार (Partner by Estoppel) (ख) व्यवहार द्वारा साझेदार (Partner by Holding out)। ऐसे साझेदार जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि लोग उन्हें फर्म का साझेदार समझें, विबंधित साझेदार कहलाते हैं। ऐसे साझेदार फर्म से प्राप्त लाभ के बंटवारे के हकदार नहीं होते परन्तु उनके किसी झूठे कथन या प्रदर्शन द्वारा फर्म को हुई हानि के लिए वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

टिप्पणी

इसी प्रकार यदि कोई साझेदारी फर्म किसी व्यक्ति को अपना साझेदार घोषित करती है और संबद्ध व्यक्ति इस पर अपनी असहमति घोषित नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार द्वारा साझेदार (Partner by Holding out) कहलाता है। ऐसा साझेदार लाभ का हकदार नहीं होता परन्तु देयताओं के लिए अवश्य जिम्मेदार होता है।

साझेदारी के प्रकार

साझेदारी को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है –

1. **साधारण एवं सीमित साझेदारी :** साधारण साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि सीमित साझेदारी में दो प्रकार के साझेदार होते हैं : साधारण साझेदार और विशिष्ट साझेदार। साधारण साझेदार का दायित्व असीमित होता है, जबकि विशिष्ट साझेदार का सीमित। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का साधारण साझेदार होना आवश्यक है।

2. **एच्छिक साझेदारी एवं विशेष साझेदारी :** एच्छिक साझेदारी का गठन व्यवसाय को अनिश्चित अवधि तक चलाने के लिए किया जाता है, जबकि विशेष साझेदारी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात इसका समापन हो जाता है।

3. **कानूनी एवं गैर कानूनी साझेदारी :** यद्यपि साझेदारी को अस्तित्व में लाने के लिए साझेदारी का भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीयन आवश्यक नहीं है तथापि साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के अनुसार ही कार्य करना होता है, जो साझेदारी फर्म अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करती है वह कानूनी मानी जाती हैं और वैधानिक साझेदारी कहलाती है।

   इसके विपरीत निम्न स्थितियों में साझेदारी गैर कानूनी एवं गैर वैधानिक बन जाती है :

   क) यदि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी है।

   ख) यदि साझेदारी का व्यवसाय जन नीति विरोधी है।

   ग) यदि साझेदारों की संख्या एक रह जाती है अथवा अधिकतम संख्या से अधिक हो जाती है।

   घ) यदि कोई साझेदार दुश्मन देश का नागरिक है।

राहुल, गोपाल का घनिष्ट मित्र है। वह गोपाल की दुकान पर घंटों बैठा रहता है। गोपाल की अनुपस्थिति में वह ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) से लेन–देन भी करता है। यह मानकर कि राहुल, गोपाल का साझेदार है (जबकि वह साझेदार नहीं है), एक आपूर्तिकर्ता ने राहुल के साथ एक सौदा तय किया, परन्तु वह गोपाल को मंजूर नहीं था। इससे आपूर्तिकर्ता को घाटा उठाना पड़ा। क्या वह घाटे के लिए राहुल पर दावा कर सकता है? राहुल किस प्रकार का साझेदार है?

टिप्पणी

5.4.5 साझेदारी फर्म की उपयुक्तता

हम पहले ही जान चुके हैं कि भिन्न–भिन्न योग्यता, कौशल और अनुभव वाले व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाने के लिए साझेदारी फर्म बना सकते हैं। साझेदारी में निर्माण सबंधी, कानूनी सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं जैसे व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं। मध्यम स्तर पर पूँजी की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए साझेदारी उपयुक्त है। इस प्रकार के व्यवसाय जैसे थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएँ, व्यापारिक केन्द्र, लघु उद्योग आदि भी साझेदारी फर्म के अन्तर्गत सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं।

5.4.6 साझेदारी संलेख

व्यवसाय को चलाने, लाभ को बांटने तथा हानि को वहन करने के लिए साझेदारों के बीच में एक समझौता (Agreement) होना चाहिए। यह समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। समझौता, जिसे साझेदारी–पत्र भी कहते हैं, में निम्नलिखित बातें होनी चाहिएँ:–

(i) फर्म का नाम

(ii) व्यवसाय की प्रकृति

(iii) साझेदारों के नाम और पते

(iv) व्यवसाय के स्थान का विवरण

(v) यदि तय हो तो साझेदारी की समय सीमा

(vi) प्रत्येक साझेदार द्वारा पूँजी में योगदान

(vii) लाभ–हानि अनुपात

(viii) साझेदारों के कर्तव्य, अधिकार और दायित्व

(ix) साझेदारों का वेतन और आहरण (Withdrawal)

(x) खातों का लेखांकन और उनका लेखा–परीक्षण (Auditing)

(xi) फर्म के विघटन का तरीका

(xii) विवाद निपटाने का तरीका

साझेदारों को, अपनी फर्म को, सबंधित राज्य में फर्मों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराना चाहिए। यद्यपि पंजीकरण की बाध्यता नहीं है परन्तु पंजीकरण न करवाने के दुष्परिणामों से बचने के लिए फर्म बनाते समय या किसी भी अन्य समय पंजीकरण करा लेना ही अच्छा है। फर्म का पंजीकरण निम्न प्रकार से करवाया जा सकता है :

टिप्पणी

(i) पंजीकरण के लिए निश्चित फॉर्म भरकर सबंधित राज्य के फर्म रजिस्ट्रार को आवेदन करना चाहिए।

(ii) फॉर्म को पूरा व ठीक से भरना तथा उस पर सभी साझेदारों को हस्ताक्षर करना चाहिए।

(iii) पूर्णतः भरे हुए आवेदन–पत्र (Form) के साथ आवश्यक पंजीकरण शुल्क रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना चाहिए।

(iv) तत्पश्चात रजिस्ट्रार आवेदन पत्र की जांच करेगा और संतुष्ट होने पर, कि पंजीकरण से सबंधित सभी औपचारिकताएँ पूरी की गयी हैं, फर्म का नाम अपने रजिस्टर (पंजिका) में लिखेगा और फर्म के नाम पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी कर देगा।

गोपाल व रहीम साथ मिलकर एक साझेदारी फर्म चला रहे हैं। व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं।

गोपाल के पिता भी उसी इलाके में थोक व्यवसाय चलाते हैं। यह व्यवसाय पहले उसके दादाजी संभालते थे। एक दिन उसे अपने पिताजी से पता चला कि वह (गोपाल), उसका छोटा भाई व बहन उस व्यवसाय में बराबर के साझेदार हैं। यह परिवार का व्यवसाय है और गोपाल अपने परिवार के व्यवसाय में अपने अंश को बिना खोए भी अपना साझेदारी व्यवसाय चला सकता है। इस सूचना ने गोपाल को उलझन में डाल दिया पर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि उनका पारिवारिक व्यवसाय हिंदू अधिनियम के अनुसार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है। आइये, 'संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय' के बारे में विस्तार से जानें।

पाठगत प्रश्न 5.2

1. साझेदारी फर्म के संदर्भ में अवयस्क की स्थिति बताइए।
2. निम्नलिखित कथन साझेदारी फर्म को बनाने से सबंधित हैं। यदि ये गलत हों तो इन्हें ठीक करके पुनः लिखिये।
   (क) बैंकिंग व्यवसाय को 'साझेदारी' में चलाने के लिए अधिकतम 20 साझेदार होने चाहिए।
   (ख) साझेदारी विलेख मौखिक या लिखित हो सकता है।
   (ग) साझेदारों में नियोक्ता–कर्मचारी का संबंध होता है।
   (घ) साझेदारी फर्म में हरी और मधु, प्रत्येक ने 10,000 रुपये का अंशदान किया है। फर्म में हानि की स्थिति में मधु का दायित्व 10,000 तक सीमित होगा।
   (ङ) एक व्यक्ति ने वर्तमान साझेदारों से संबंधों के आधार पर साझेदारी फर्म में लाभ अर्जित किया।

टिप्पणी

3. निम्नलिखित परिस्थितियों में साझेदारों के प्रकारों को पहचानिए :

(क) 25 वर्षीय साझेदार श्रीधर का दायित्व उसके पूँजी निवेश तक सीमित है।

(ख) मदन ने, न तो पूँजी में अंशदान किया है और न ही वह लाभ में हिस्सा लेता है, फिर भी उसे साझेदार माना जाता है।

(ग) सुनीता 15 वर्ष की आयु में फर्म से लाभ का अंश लेने के लिए फर्म में प्रवेश करती है।

(घ) सुधीर फर्म में निवेश करता है और वह लाभ व हानियों को भी बांटता है। परन्तु वह दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है।

(ङ) एक फर्म ने घोषणा की कि सचिन उसका एक साझेदार है। यह घोषणा सुनकर सचिन इसे अस्वीकार नहीं करता।

5.5 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय

एकल स्वामित्व तथा साझेदारी व्यवसायों के विषय में जानने के बाद, आइये, अब एक अनोखी व्यावसायिक इकाई के बारे में बात करें। यह केवल भारत में और वहां भी केवल हिंदुओं में पायी जाती है। 'संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय' एक प्रकार की ऐसी व्यावसायिक इकाई है जो संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवारों द्वारा चलायी जाती है। परिवार की तीनों पीढ़ियों (दादा से पौत्र तक) के सदस्य इस व्यवसाय के सदस्य होते हैं। कर्ता अर्थात परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति इसे संभालता है। दूसरे सदस्य सह–समांशी (Co-parceners) कहलाते हैं। सभी सदस्यों का व्यावसायिक सम्पत्ति के स्वामित्व में बराबर का अधिकार होता है।

संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता का अधिकार परिवार में जन्म से ही प्राप्त होता है। अवयस्क को सदस्य बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हिंदू अधिनियम की 'दयाभाग प्रणाली' के अनुसार सभी पुरुष एवं स्त्री सदस्य व्यवसाय के संयुक्त स्वामी होते हैं। परन्तु हिंदू अधिनियम की 'मिताक्षरा' प्रणाली के अनुसार परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही सह–भागी बन सकते हैं। 'दयाभाग प्रणाली' पश्चिमी बंगाल में लागू है तथा मिताक्षरा–प्रणाली देश के बाकी सभी हिस्सों में लागू है।

5.5.1 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय की विशेषताएं

अब तक हुई बातचीत से आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय की कुछ विशेष विशेषताएँ हैं। ये निम्न प्रकार हैं:

(क) स्थापना : संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम दो सदस्य तथा कुछ पैतृक सम्पत्ति होनी चाहिए। यह किसी समझौते के द्वारा नहीं बल्कि कानून के द्वारा क्रियान्वित होती है।

(ख) वैधानिक स्थिति : संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक सामूहिक स्वामित्व वाला व्यवसाय है। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित है।

टिप्पणी

(ग) **सदस्यता :** 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय में परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति सह–भागी नहीं हो सकता। केवल अविभाजित परिवार के सदस्य जन्म से इसके सदस्य बन सकते हैं।

(घ) **लाभ का बंटवारा :** सभी सहभागी व्यवसाय के लाभ में बराबर के हिस्सेदार होते हैं।

(ङ) **प्रबंधन :** इस व्यवसाय का प्रबंध परिवार का वरिष्ठ सदस्य जिसे कर्ता कहते है, देखता है। परिवार के दूसरे सदस्यों को प्रबंधन, में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। कर्ता को अपनी मर्जी के अनुसार व्यवसाय को चलाने का अधिकार है और कोई भी उसके प्रबंधन के तरीके पर प्रश्न नहीं उठा सकता। यदि सहभागी कर्ता के प्रबंधन से संतुष्ट नहीं है तो केवल आपसी समझौते के द्वारा (Mutual agreement) अविभाजित हिंदू परिवार का विघटन करना ही अंतिम उपाय है।

(च) **दायित्व :** सह–संमाशियों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक ही सीमित होता है। केवल कर्ता का दायित्व असीमित होता है। व्यवसाय में आवश्यकता के समय पर उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति भी उपयोग में लाई जा सकती है।

(छ) **निरन्तरता :** किसी सह–समांशी की मृत्यु से इस व्यवसाय की निरन्तरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक कि कर्ता की मृत्यु होने पर भी परिवार का अन्य वरिष्ठ सह–समांशी कर्ता का स्थान ले लेता है। 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय को आपसी समझौते या न्यायालय में याचिका दायर करके विघटित किया जा सकता है।

5.5.2 'सयुक्त हिंन्दू परिवार' व्यवसाय के गुण

(क) **निश्चित लाभांश :** प्रत्येक सह–समांशी व्यवसाय के चलाने में अपने योगदान का ध्यान फ्रिक किए बिना लाभ में समभाग के लिए आश्वस्त होता है। इससे अवयस्क, बीमार, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान सह–समांशियों के व्यवसाय में हित सुरक्षित रहते हैं।

(ख) **शीघ्र निर्णय :** इस व्यवसाय में कर्ता प्रबंधन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद उठाता है। इससे उसे बिना किसी दखल के शीघ्रता से निर्णय लेने में मदद मिलती है।

(ग) **ज्ञान और अनुभव को बाटना :** एक 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय परिवार के युवा सदस्यों को अपने वरिष्ठ सदस्यों के ज्ञान और अनुभव का फायदा उठाने का अवसर देता है। यह उनमें अनुशासन, आत्म बलिदान और सहनशीलता जैसे गुण भी भरता है।

(घ) **सदस्यों का सीमित दायित्व :** कर्ता को छोड़कर बाकी सभी सह–समांशियों का दायित्व उनके पूँजी अंशदान तक सीमित होता है। यह स्थिति सदस्यों को कर्ता के अनुदेश या निर्देश के अनुसार स्वतंत्र व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाती है।

(ङ) **कर्ता का असीमित दायित्व :** क्योंकि कर्ता का दायित्व असीमित होता है अतः व्यवसाय न चल पाने पर देयताओं के भुगतान के लिए उसकी निजी सम्पत्ति दांव पर लगी होती

टिप्पणी

है। यह शर्त कर्ता को व्यवसाय को बड़ी सावधानी और बुद्धिमानी से चलाने के लिए बाध्य करती है।

(च) **निरंतर अस्तित्व :** किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने से व्यवसाय की निरंतरता पर कोई असर नहीं पड़ता और यह लम्बे समय तक चलता रह सकता है।

(छ) **कर लाभ :** कर के उददेश्य से हिंदू अविभाजित परिवार एक स्वतंत्र करदाता इकाई है। व्यवसाय से प्राप्त आय को सह–समांशियों की निजी आय में कर के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता।

गुणों को जानने के बाद, आइए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाओं को भी जानें।

5.5.3 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय की सीमाएं

(क) **सीमित संसाधन :** 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय में सामान्यतः सीमित वित्त और प्रबंधकीय साधन होते हैं। इसलिए व्यवसाय का यह प्रकार बड़े व्यवसायों के लिए उचित नहीं है।

(ख) **प्रेरणा की कमी :** सभी सह–समांशियों को लाभ का बराबर हिस्सा है, अतः प्रबंध में भागीदारी का लाभ के अंश से सीधा संबंध न होने के कारण सामान्यतः वे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं।

(ग) **अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना :** चूंकि इस व्यवसाय को चलाने के लिए कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र है, अतः यह संभावना बढ़ जाती है कि वह निजी लाभ के लिए इन अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है।

(घ) **अस्थिरता :** 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय की निरंतरता पर सदैव खतरा बना रहता है क्योंकि परिवार में छोटी–सी अनबन भी व्यवसाय में विभाजन करवा सकती है।

5.5.4 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय की उपयुक्तता

जिस परिवार में कई पीढ़ियों से कोई व्यवसाय विशेष होता चला आ रहा है और आगे भी परिवार के सदस्य उस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, वहीं पर 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त यह ऐसे व्यवसाय के लिए भी उपयुक्त होता है जिसमें कम पूँजी और प्रबंध की आवश्यकता के साथ उसका क्षेत्र भी सीमित होता है। यह भी देखा गया है कि 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय सामान्यतः व्यापारिक व्यवसाय, देशी बैंकिंग, लघु उद्योग और शिल्प जैसे व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है।

5.5.5 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय की स्थापना

संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदू कानून के प्रावधानों के अनुसार बनता है। यह व्यवसाय स्थापित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्तित्व में आता है। यदि सदस्य इस पारिवारिक

व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो व्यवसाय स्थापित करने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी स्वतः ही सह–समांशी बन जाता है। बच्चे जन्म से ही इसके सदस्य बन जाते हैं। परिवार का वरिष्ठ सदस्य व्यवसाय का कर्ता होता है। इसकी स्थापना के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु कर संबंधी छूट के लिए इसे आयकर विभाग में पंजीकृत कराना पड़ता है।

पाठगत प्रश्न 5.3

1. कर्ता का दायित्व असीमित क्यों होना चाहिए?
2. नीचे लिखे कथनों में 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय के गुण और सीमाएं छांटिए। उनके सामने दी गयी जगह में गुण के लिए 'ग' तथा सीमा के लिए 'स' भरिए :

   (क) परिवार के युवा सदस्य वरिष्ठ सदस्यों से ज्ञान और अनुभव सीखते हैं।

   (ख) किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने से व्यवसाय की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

   (ग) सह–समांशी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए अभिप्रेरित नहीं होते।

   (घ) सदस्यों में लाभ का विभाजन बराबर किया जाता है न कि उनके द्वारा व्यवसाय में दिए गए योगदान के अनुसार।

   (ङ) कर्ता बिना किसी हस्तक्षेप के तुरंत निर्णय ले सकता है।

3. 'साझेदारी' और 'संयुक्त हिन्दू परिवार' व्यवसाय में सदस्य संख्या के आधार पर अन्तर स्पष्ट कीजिए।

5.6 सहकारी समिति

अभी तक आपने विभिन्न व्यावसायिक संगठनों जैसे 'एकल स्वामित्व, साझेदारी और 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय के बारे में जाना। इन सभी व्यवसायों की स्थापना, प्रबंधन, पूँजी योगदान आदि में विभिन्न असमानताएँ होने के साथ–साथ इन सब में एक समानता है कि इन सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य होता है और वह है लाभ कमाना। परन्तु कुछ व्यावसायिक संगठन इस प्रकार के भी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना है। यद्यपि ये संगठन कुछ लाभ भी कमाते हैं परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखना है। वे सभी सदस्यों के संसाधनों को एकत्रित कर उनका सदुपयोग करते हैं और प्राप्त लाभ को उनमें बांट देते हैं। इन संगठनों को सहकारी समितियाँ कहते हैं। आइये, अब इनके विषय में विस्तार से जानें।

टिप्पणी

सहकारी शब्द का उद्भव लेटिन भाषा के शब्द **को + ओपररी** से हुआ। 'को' शब्द का अर्थ 'साथ' है और 'ओपरारी' का अर्थ 'काम करना' है। अर्थात साथ–साथ काम करना। अतः किसी आर्थिक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने वाले व्यक्ति एक समिति बना लेते है जिसे सहकारी समिति कहते हैं। यह एक ऐसी स्वैच्छिक संस्था है जिसमें कुछ व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। यह आपसी मदद और स्वयं सहायता के सिद्धांत पर काम करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों की सहायता करना है। इसमें लोग एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। अपने निजी संसाधन व पूँजी लगाते हैं और उनका सर्वोतम तरीके से उपयोग करते हुए प्राप्त लाभ को परस्पर बांट लेते हैं।

*भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार "ऐसी समिति जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को सामूहिकता के सिद्धान्त पर प्रोत्साहित करना है, **सहकारी समिति** कहलाएगी।"*

5.6.1 सहकारी समिति की विशेषताएँ

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर सहकारी समिति की निम्न विशेषताएं हैं:

(क) स्वैच्छिक साझेदारी : इसके सदस्य स्वैच्छिक रूप से अर्थात अपनी इच्छा से समिति के सदस्य बनते हैं। एक समान सामूहिक आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त करते हैं और जब तक चाहते हैं सदस्य बने रहते हैं, और जब चाहे, इसकी सदस्यता छोड़ सकते हैं।

(ख) खुली सदस्यता : इसकी सदस्यता समान आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्तियों के लिए खुली रहती है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति, सम्प्रदाय, धर्म, रंग और लिंग भेद (स्त्री और पुरुष) का ध्यान किए बिना इसका सदस्य बन सकता है।

(ग) सदस्यों की संख्या : सहकारी समिति के लिए कम से कम दस सदस्य होने चाहिए। बहुराजीय सहकारी समिति के लिए प्रत्येक राज्य से सदस्यों की न्यूनतम संख्या ५० होनी चाहिए। सहकारी समिति अधिनियम में सदस्यों की अधिकतम संख्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि समिति की स्थापना के बाद परस्पर स्वीकृति से अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की जा सकती है।

(घ) समिति का पंजीकरण : भारत में सहकारी समितियां सहकारी समिति ऐक्ट १९१२ या राज्य सहकारी समिति ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत की जाती हैं तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियां, अन्तर्राज्यीय सहकारी समिति एक्ट 2002 के अन्तर्गत पंजीकृत की जाती हैं। सहकारी समिति के एक बार पंजीकृत हो जाने पर, उनका एक अलग कानूनी अस्तित्व बन जाता है और उसे निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं :

(i) समिति को चिर स्थायी उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

टिप्पणी

(ii) इसके पास अपनी सामान्य मुहर होती है।

(iii) यह दूसरों के साथ अनुबन्ध कर सकती है।

(iv) यह न्यायालय में दूसरों पर मुकदमा चला सकती है।

(v) यह अपने नाम पर सम्पत्ति रख सकती है।

(ङ) राजकीय नियंत्रण : चूंकि सहकारी समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है अतः प्रत्येक सहकारी समिति पर सरकार का नियत्रंण और निरीक्षण होता है। सरकार का सहकारी विभाग समितियों के कार्यों पर नजर रखता है। प्रत्येक समिति को सरकार के सहकारी विभाग से अपने खातों का लेखा–परीक्षण कराना होता है।

(च) पूँजी : प्रत्येक सहकारी समिति के सदस्य पूँजी में अंशदान करते हैं। क्योंकि सदस्यों का अंशदान बहुत सीमित होता है इसलिए यह सरकार व शीर्ष सहकारी संस्थाओं से प्राप्त ऋण और राज्य या केन्द्र सरकार से स्वीक त अनुदान व आर्थिक सहायता पर भी निर्भर होती है।

(छ) लोकतंत्रात्मक प्रबन्धन : सहकारी समिति लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करती है। प्रत्येक सदस्य को समिति के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। फिर भी समिति सफल प्रबन्धन के लिए एक प्रबन्ध समिति का चुनाव करती है। यह चुनाव सदस्यों के अंशों पर निर्भर न होकर एक व्यक्ति एक मत के आधार पर किया जाता है। सदस्यों की आम सभा में सर्वसम्मति से ही इस प्रबंध समिति के कामकाज की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है।

(ज) सेवा उद्देश्य : सभी समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करना है।

(झ) पूँजी निवेश पर प्रतिफल : सदस्यों को अपने पूँजी निवेश पर लाभांश के रूप में प्रतिफल मिलता है।

(ञ) अधिशेष (Surplus) का वितरण : समिति के सदस्यों को सीमित लाभांश देने के बाद, बची धनराशि को समिति के कल्याण के लिए रखा जाता है। यदि फिर भी कुछ धनराशि शेष रहती है तो अधिशेष को सदस्यों में बोनस के रूप में बांट दिया जाता है।

5.6.2 सहकारी समितियों के प्रकार

आप जानते हैं कि सहकारी संगठन को विभिन्न क्षेत्रों में समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। इसलिए लोगों की आवश्यकता के अनुरूप भारत में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां पायी जाती हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं

(क) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ : इन सहकारी समितियों की स्थापना उपयुक्त कीमत पर उच्च किस्म की उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करने के लिए की जाती है।

टिप्पणी

(ख) उत्पादक सहकारी समितियाँ : इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों व दस्तकारों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। ये समितियाँ उन्हें उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, औजार और साजो–सामान उपलब्ध कराती हैं।

(ग) विपणन सहकारी समितियाँ : उत्पाद के विपणन की समस्या को हल करने के लिए छोटे–छोटे उत्पादक मिलकर विपणन सहकारी समिति बना लेते हैं।

(घ) आवासीय सहकारी समितियाँ : ये समितियाँ सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में अपने सदस्यों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनायी जाती हैं।

(ङ) कृषि सहकारी समितियाँ : ये समितियाँ छोटे किसानों द्वारा बड़े पैमाने की खेती के लाभ उपलब्ध कराने के लिए बनायी जाती हैं।

(च) ऋण सहकारी समितियाँ : ये समितियाँ उन लोगों द्वारा बनायी जाती हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। ये सदस्यों द्वारा जमा राशि स्वीकृत कर उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं।

करें एवं सीखें

सहकारी समिति के विषय में उपरोक्त बातचीत और व्यावसायिक संगठन के प्रकार के बारे में आपकी अपनी जानकारी के आधार पर नीचे दी गयी तालिका को भरने का प्रयास कीजिए।

सहकारी समितियों के प्रकार	*समिति कौन स्थापित करता है*	*समिति के उद्देश्य*	*समिति के कार्य*
1. उपभोक्ता सहकारी समिति			
2. उत्पादक सहकारी समिति			
3. विपणन सहकारी समिति			
4. आवासीय सहकारी समिति			
5. कृषि सहकारी समिति			
6. ऋण सहकारी समिति			

टिप्पणी

5.6.3 सहकारी समिति के गुण

सहकारी समिति एक मात्र ऐसा व्यावसायिक संगठन है जो अपने लाभ को अधिकतम करने के बजाये अपने सदस्यों की सेवा को अधिक महत्त्व देता है। इसकी विशेषताएँ और प्रकार जानने के बाद आइये, इस व्यवसायिक संगठन के गुणों के बारे में जानें।

(क) **स्थापना में सुगमता :** कोई भी दस वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से मिलकर एक संस्था बना कर उसे सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवा सकते हैं। यह पंजीकरण आसान है और इसमें ज्यादा वैधानिक औपचारिकताएं भी नहीं हैं।

(ख) **सीमित दायित्व :** सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनकी पूँजी में अंशदान तक ही सीमित होता है। वे व्यक्तिगत रूप से समिति के ऋण के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं।

(ग) **खुली सदस्यता :** कोई सक्षम एवं समान वैचारिक अवधारणा वाला व्यक्ति कभी भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। इसमें जाति, सम्प्रदाय, लिंग अथवा रंग आदि का कोई बंधन नहीं होता है। सदस्यों का समिति में प्रवेश और निकास सामान्यतः खुला रहता है।

(घ) **राजकीय सहायता :** किसी भी देश के विकास के लिए वहां के कमजोर वर्ग का आर्थिक विकास करना आवश्यक है। इसीलिए इन सहकारी समितियों को सदैव केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से ऋण, अनुदान आदि के रूप में राजकीय मदद मिलती रहती है।

(ङ) **स्थिर जीवन :** सहकारी समितियाँ चिर स्थायी जीवन काल का लाभ पाती हैं। सदस्यों की मृत्यु, उनके त्यागपत्र, दिवालियापन आदि का समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसका अपना वैधानिक अस्तित्व होता है।

(च) **कर में छूट :** लोगों को सहकारी समितियों की स्थापना करने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर में रियायत एवं छूट देती है जो समय–समय पर बदलती रहती है।

(छ) **लोकतांत्रिक प्रबंध :** सहकारी समिति का प्रबंध सभी सदस्यों द्वारा चुनी गयी प्रबंध समिति करती है। सदस्य कानून द्वारा तय सीमाओं में रहकर, स्वयं ही नियम एवं विनियम कानून बना लेते हैं।

5.6.4 सहकारी समिति की सीमाएं

यद्यपि सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य सदस्यों में आपसी मदद और सहयोग को विकसित करना है परन्तु यह देखा गया है कि सहयोग की यह भावना लम्बे समय तक बनी नहीं रहती। सहकारी समिति को सामान्यतः निम्नलिखित सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

टिप्पणी

(क) **सीमित पूँजी :** ज्यादातर सहकारी समितियां पूँजी की कमी को झेलती हैं। क्योंकि इनके सदस्य पिछड़े क्षेत्र या कमजोर वर्ग से आते हैं और साधारणतया उनके पास साधन सीमित होते हैं। इस कारण उनके लिए बड़ी राशि जुटाना संभव नहीं होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता भी प्रायः अपर्याप्त ही होती है।

(ख) **प्रबंधकीय विशेषज्ञों की कमी :** प्रबंधकीय विशेषज्ञों की कमी के कारण कभी–कभी सहकारी समिति का प्रबंध ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। साथ ही धन की कमी के कारण वे पेशेवर प्रबंधकों का लाभ उठाने में भी असमर्थ होते हैं।

(ग) **प्रेरणा की कमी :** चूंकि पूँजी निवेश पर ब्याज दर कम होता है। इसलिए इसके सदस्य हमेशा इसके कार्यों में सम्मिलित नहीं होते।

(घ) **दिलचस्पी में कमी :** एक बार सहकारी समिति को बनाने और चलाने का जोश और जिज्ञासा समाप्त हो जाने पर सदस्यों में गुटबंदी शुरू हो जाती है। इससे समिति निर्जीव और निष्क्रिय हो जाती है।

(ङ) **भ्रष्टाचार :** सरकार के नियमों और समय–समय पर लेखा–परीक्षणों के बावजूद समिति के प्रबंध में भ्रष्टाचार को नकारा नहीं जा सकता।

5.6.5 सहकारी समिति की उपयुक्तता

आप यह जान गये हैं कि सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संस्था है। यह उन लोगों द्वारा बनायी जाती है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और अपने स्वयं के बल पर अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर सकते। अतः इस सामान्य समस्या को हल करने या सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह व्यवसाय अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार उपभोक्ता वस्तुएँ प्राप्त करने, आवास निर्माण, उत्पादों के विपणन के लिए, ऋण और अग्रिम देने के लिए लोग इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इस प्रकार का व्यावसायिक संगठन सामान्यतः छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को चलाने के लिए उपयुक्त है।

पाठगत प्रश्न 5.4

1. 'सहकारी समिति' को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए।
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए।

   (क) सहकारी समिति का प्रबंध कौन करता है?

   (ख) बहुराज्यीय सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए?

   (ग) लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस प्रकार की समिति की स्थापना की जाती है?

टिप्पणी

(घ) सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवेदन किसके पास भेजा जाता है?

(ङ) एक सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है?

3. निम्नलिखित का मिलान कीजिए :

कॉलम क	कॉलम ख
(क) पंजीकरण	(i) सीमित
(ख) सदस्यता	(ii) प्रबन्धन
(ग) पूँजी पर लाभ	(iii) सभी के लिए खुला
(घ) लोकतंत्रात्मक	(iv) अनिवार्य
(ङ) देयता	(v) लाभांश

आपने क्या सीखा

- स्वामित्व और प्रबंधन के आधार पर व्यवसाय सगंठन के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिन्दू परिवार, सहकारी समिति और संयुक्त पूँजी कम्पनी शामिल हैं।

- **एकल स्वामित्व** व्यवसाय संगठन का एक ऐसा रूप है जिसमें एक अकेला व्यक्ति व्यवसाय को संभालता है तथा लाभ और हानि को वहन करता है। इस व्यावसायिक संगठन के गुण हैं, इसे आसानी से स्थापित और बंद किया जा सकता है, तुरन्त निर्णय लेना और उस पर शीघ्र कार्यवाही करना, प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा और संचालन में लचीलापन होना। व्यवसायी स्वयं व्यवसाय के प्रत्येक मामलों में व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालता है जो उसे व्यवसाय की गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। इन सभी गुणों के अतिरिक्त, संगठन के इस रूप की सीमाएं हैं जैसे संसाधनों की सीमितता, निरंतरता का अभाव, स्वामी का असीमित दायित्व, प्रबंधन में सीमित दक्षता आदि। बड़े पैमाने के व्यवसायों के संचालन के लिए यह रूप उपयुक्त नहीं है।

- **साझेदारी :** साझेदारी व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा रूप है जिसमें दो या अधिक सक्षम व्यक्ति किसी विधि अनुकूल व्यवसाय को चलाने का समझौता कर उससे होने वाले लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी फर्म का निर्माण करना आसान है तथा इसके संचालन में लचीलापन भी होता है।

- इसके अर्न्तगत सभी साझेदारों के संसाधनों को एकत्रित कर, उचित निर्णयों की सहायता से उनका उत्तम प्रयोग किया जाता है। इसके अर्न्तगत साझेदारों के व्यक्तिगत विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठा कर, सभी साझेदारों के हितों की रक्षा की जाती है। क्योंकि सभी

टिप्पणी

साझेदार व्यवसाय के लाभ–हानि के भागीदार होते हैं इसलिए वह व्यवसाय में पूर्ण रुचि लेते हैं। इनकी प्रमुख सीमाएं हैं: असीमित दायित्व, अस्थिरता, सीमित पूँजी, अंश की अहस्तांतरणीयता तथा साझेदारों में आपसी समझ की कमी।

- साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदार जैसे सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, नाम मात्र के साझेदार, लाभ के साझेदार, सीमित साझेदार, सामान्य साझेदार, विबंधित साझेदार और व्यवहार द्वारा साझेदार आदि होते हैं।

- **संयुक्त हिंदू परिवार :** इसमें व्यवसाय हिंदू कानून के द्वारा शासित होता है। अविभाजित हिंदू परिवार के लोग संयुक्त रूप से इसके सदस्य होते हैं और परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति, जो कर्ता कहलाता है वह सर्वोत्तम ढंग से इस व्यवसाय को संभालता है। इसका प्रत्येक सदस्य सह–समांशी कहलाता है और उसके व्यवसाय में योगदान पर विचार न करते हुए उसे एक निश्चित लाभ राशि मिलती है। सह–समांशी का दायित्व सीमित व कर्ता का दायित्व असीमित होता है। किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिवालियेपन से व्यवसाय की निरंतरता पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस व्यवसाय को भी विभिन्न सीमाओं जैसे सीमित साधन, प्रेरणा की कमी, कर्ता द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग और अस्थिर जीवन आदि का सामना करना पड़ता है।

- **सहकारी समिति :** उन व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जो अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने हेतु एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह स्व–सहायता और आपसी सहायता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। सहकारी समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक और सभी के लिए खुली रहती है। इसका अपना स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व होता है और इनका प्रबंधन प्रजातान्त्रिक रूप से होता है। सहकारी समिति का निर्माण करना सरल है तथा इसका अस्तित्व स्थिर होता है। ये सरकार से ऋण, अनुदान और छूट के रूप में सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार इन्हें कर में छूट भी उपलब्ध कराती है। सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा निवेश की गई पूँजी तक ही सीमित रहता है। इन सभी गुणों के अतिरिक्त यह अनेक सीमाओं जैसे–अपर्याप्त पूँजी, विशेषज्ञों की कमी, आदि से ग्रसित है। इनके सदस्यों में अभिप्रेरणा की कमी होती है क्योंकि प्रयत्नों के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं होता है।

- लोगों की जरूरत के अनुरूप हम अपने देश में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को देखते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सहकारी समितियां हैं–उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, आवासीय सहकारी समितियां, कृषि सहकारी समितियां और ऋण सहकारी समितियां।

- **उपयुक्तता : एकल स्वामित्व,** कम पूँजी और कम जोखिम वाले साधारण व्यवसाय के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे व्यवसाय जिनमें मानवश्रम की आवश्यकता होती है, जैसे हथकरघा, ज़री का कार्य, आभूषण बनाना आदि सामान्यतः एकल स्वामित्व वाले

टिप्पणी

व्यवसाय के रूप में स्थापित किए जाते हैं। **साझेदारी व्यवसाय**, संगठन का निर्माण, कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने, चिकित्सीय सेवाएं इत्यादि में उपयुक्त रहता है। ऐसे व्यवसाय जिनमें मध्यम स्तर की पूँजी की आवश्यकता होती है, वहां यह उपयुक्त रहता है। थोक व्यापार, पेशेवर सेवाएं, व्यापारिक गृहों और छोटी उत्पादन इकाइयों का संचालन साझेदारी के रूप में हो सकता है। **संयुक्त हिन्दू परिवार** व्यवसाय वहां पर उपयुक्त होता है जहां पर परिवार को पैतृक व्यवसाय उत्तराधिकार में प्राप्त होता है तथा सदस्य संयुक्त रूप से इस व्यवसाय को जारी रखना चाहते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कुछ व्यापार व्यवस्थित क्षेत्र में बैंकिंग एवं वित्त, छोटे उद्योग, कला एवं शिल्पकला इत्यादि का संचालन संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के रूप में किया जाता है। सामान्यतः **सहकारी समिति** का आरम्भ सामान्य आर्थिक समस्याओं को हल करने अथवा कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु किया जाता है। इनकी स्थापना उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ते दामों पर प्राप्त करने, गृह निर्माण, उत्पादों का बाजार में विक्रय, सदस्यों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने इत्यादि के लिए उपयुक्त है।

मुख्य शब्द

व्यावसायिक संगठन	कर्ता	साझेदारी
सहकारी समिति	साझेदार	साझेदारी विलेख
सह–समांशी	विबंधित साझेदार	एकल स्वामित्व
फर्म	व्यवहार द्वारा साझेदार	असीमित दायित्व
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय		

पाठान्त प्रश्न

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. एकल स्वामित्व को परिभाषित कीजिए।
2. कोई ऐसी दो परिस्थितियां बताइये जिनमें एकल स्वामित्व व्यवसाय सबसे अधिक उपयुक्त हो।
3. 'विबंधित साझेदार' किसे कहते हैं?
4. सदस्यता के आधार पर एकल स्वामित्व और साझेदारी व्यवसाय के मध्य में अंतर बताइये।
5. 'सह–समांशी' शब्द का अर्थ बताइये।

टिप्पणी

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन की उपयुक्तता के बारे में बताइये।
7. साझेदारी की किन्हीं दो सीमाओं की व्याख्या कीजिए।
8. 'साझेदारी विलेख' का क्या अर्थ है? क्या यह साझेदारी के लिए जरूरी होता है?
9. साझेदारी फर्म के अवयस्क साझेदार तथा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अवयस्क सह–समांशी की स्थिति की तुलना कीजिए।
10. पंजीकरण हो जाने के बाद सहकारी समिति को कौन–से चार विशेषाधिकार मिल जाते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

11. किन्हीं चार प्रकार के साझेदारों का वर्णन कीजिए।
12. संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
13. 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यावसायिक संगठन के विभिन्न लाभों की व्याख्या कीजिए।
14. भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारी समिति की परिभाषा दीजिए। इस व्यावसायिक संगठन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
15. भारत में उपलब्ध विभिन्न सहकारी समितियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
16. **ऐसा कहा जाता है कि लिखित समझौता सदैव बेहतर रहता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए साझेदारों को सदैव लिखित समझौता करने की सलाह दी जाती है। इस समझौते का नाम क्या है तथा सामान्यतः इसकी विषय सामग्री क्या होती है?**
17. **आपने कई प्रकार के व्यवसाय संगठन देखे हैं। यदि वर्तमान परिदृश्य में आपको एक व्यवसाय प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हो तो आप व्यवसाय संगठन के किस स्वरूप को चुनेंगे तथा क्यों? उचित**

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1 2. (क) ग (ख) स (ग) स (घ) ग (ङ) ग

3. (क) (iv) (ख) (i) (ग) (v) (घ) (iii) (ङ) (ii)

5.2 1. एक अवयस्क साझेदार केवल लाभांश ले सकता है। हानि होने की स्थिति में उसका दायित्व केवल उसके पूँजी अंशदान तक ही सीमित होता है।

2. (क) बैंकिंग व्यवसाय को साझेदारी में शुरू करने के लिए अधिकतम दस सदस्य चाहिए।

(ख) साझेदारी विलेख हमेशा लिखित रूप में होता है।

(ग) साझेदारों के मध्य प्रधान एवं एजेंट का संबंध होता है।

(घ) साझेदारी में हरी और मधु प्रत्येक ने 10,000 रुपये की पूंजी निवेश किया है। व्यवसाय में हानि के मामले में मधु का दायित्व असीमित होगा।

(ङ) साझेदारी व्यवसाय में, एक समझौते के द्वारा ही, कोई व्यक्ति अपना हित अर्जित कर सकता है।

3. (क) सीमित साझेदार
(ख) नाममात्र के साझेदार
(ग) लाभ के साझेदार या अवयस्क साझेदार
(घ) निष्क्रिय साझेदार/सुप्त साझेदार
(ङ) प्रदर्शन द्वारा साझेदार

5.3 1. चूंकि व्यवसाय को अपनी इच्छानुसार चलाने के लिए कर्ता के पास असीम शक्तियां होती हैं, इसलिए वह अपने निजी स्वार्थ के लिए इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। 'असीमित दायित्व' कर्ता को, व्यवसाय को हानि पहुँचाने से रोकता है।

2. (क) ग (ख) ग (ग) स (घ) ग (ङ) ग

3. (क) दोनों स्थितियों में कम से कम दो सदस्य चाहिएँ।
(ख) साझेदारी में बैंकिंग के लिए अधिकतम 10 तथा अन्य के लिए अधिकतम 20 सदस्य होने चाहिएँ जबकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में ऐसी कोई सीमा नहीं है।
(ग) साझेदारी व्यवसाय में सदस्यता समझौते द्वारा अर्जित होती है। 'संयुक्त हिंदू परिवार' व्यवसाय में सदस्यता उस परिवार में जन्म लेने से मिलती है।

5.4 2. (क) प्रबंध समिति
(ख) 50 (व्यक्तिक सदस्य)
(ग) ऋण सहकारी समिति
(घ) सहकारी समिति का रजिस्ट्रार
(ङ) अधिनियम के अनुसार कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि सदस्य चाहे तो समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकते हैं।

3. (क) iv (ख) iii (ग) v (घ) ii (ङ) i

करें एवं सीखें

अपने क्षेत्र के आस–पास 20 व्यावसायिक संगठनों का निरीक्षण कीजिए। इस पाठ में दी गयी चार श्रेणियों में उन्हें वर्गीकृत कीजिए। उनके व्यवसाय की प्रकृति, व्यापार का आकार, स्वामियों की संख्या इत्यादि सारिणी रूप में प्रस्तुत कीजिए।

टिप्पणी

अभिनयन

1. कमल और निर्मल दो मित्र हैं। निर्मल, कमल के साथ साझेदारी में थोक व्यापार शुरू करना चाहता था। कमल ने उसके प्रस्ताव को न मानते हुए अन्य क्षेत्र में स्वयं की रेडिमेड कपड़ों को बेचने की दुकान शुरू कर दी। निर्मल ने अपने अन्य मित्र विमल के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। एक दिन दोनों कमल और निर्मल एक उत्सव में मिलते है। यहां पर उन दोनों के बीच हुए वार्तालाप का सार प्रस्तुत है।

निर्मल : नमस्ते कमल! आप कैसे हैं?

कमल : नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आपकी साझेदारी कैसी चल रही है?

निर्मल : ठीक चल रही है। विमल बहुत ईमानदार और मिलकर काम करने वाला है। हमें अच्छा लाभ मिल रहा है लेकिन मुझे आज भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। क्या तुम आज भी साझेदारी में काम करने के इच्छुक नहीं हो?

कमल : नहीं, मैं अकेला व्यापार करके खुश हूँ।

(निर्मल ने साझेदारी के गुणों तथा एकल स्वामित्व की सीमाओं के बारे में बताया; जबकि कमल ने एकल स्वामित्व के गुणों और साझेदारी की सीमाओं पर प्रकाश डाला।)

अपने आपको निर्मल मानते हुए और अपने मित्र को कमल समझते हुए, वार्तालाप को जारी रखिए।

2. एक कैफे में कनिका अपने मित्र प्रशान्त से एक लम्बी अवधि के पश्चात मिली। दोनों ने अपने कालेज के दिनों पर चर्चा की तथा एक दूसरे को अपने वर्तमान कार्य के सम्बन्ध में बताया। दोनों के बीच बातचीत इस प्रकार हुई :

कनिका : प्रशान्त, इस समय मैं गुजरात की एक प्रसिद्ध फर्म में साझेदार हूं और हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है।

प्रशान्त : यह तो बहुत अच्छी बात है कनिका, मैं भी हजीरा (इंडिया) प्रा. लि. में एम.डी. के रूप में कार्य कर रहा हूं। यह पैट्रो प्रोडक्ट्स निर्माणी कम्पनियों में से एक है।

कनिका : एम.डी. सुनना अच्छा लगता है। मेरे साझेदार भी एक लम्बे समय से साझेदारी फर्म को प्राईवेट लि. कम्पनी में बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ निश्चित नहीं है कि यह सम्भव होगा या नहीं और फिर यह साझेदारी से भिन्न भी होगी।

प्रशान्त : चिन्ता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इसके सभी पहलुओं के बारे में बताऊँगा।

और बातचीत जारी रहती है।